



राजस्थान सरकार गृह (ग्रुप-1) विभाग

क्रमांक-प. 1(29)गृह-1 / 2024 (22256)

जयपुर, दिनांक : हस्ताक्षरित दिनांक

:- आज्ञा :-

राजस्थान राज्य एवम् अधीनस्थ सेवाएँ (संयुक्त प्रतियोगी) परीक्षा, 2008 के संबंध में मा0 राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा डी.बी. स्पेशल अपील याचिका संख्या 57/2023 में पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 की पालना में राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान पुलिस सेवा नियम, 1954 के नियम 25 व 30 के अनुसरण में निम्नांकित अभ्यर्थी को राजस्थान पुलिस सेवा में दो वर्ष की कालावधि के लिए परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में मा0 न्यायालय द्वारा निर्देशित तिथि से राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय स्थिर पारिश्रमिक/वेतन भत्तों पर एतद् द्वारा नियुक्त करते हैं:-

क्र. सं.	मेरिट नंबर	रोल नंबर	अभ्यर्थी का नाम (सुश्री/सर्वश्री/श्रीमती)	जन्म तिथि	वर्ग
1.	57-A	400830	SUKHRAM VISHNOI	04.05.1979	BC, RG

उपरोक्त नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन है:-

1. पुलिस सत्यापन Attestation Form में उल्लेखित सभी स्थानों से प्राप्त नहीं हुआ है, तो नियुक्ति सभी स्थानों से पुलिस सत्यापन प्राप्त होने तक प्रोविजनल रहेगी।
2. उक्त नियुक्ति समस्त मूल दस्तावेजों की जाँच के अधीन रहेगी।
3. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक: प. 1(2)वित्त/नियम/06 दिनांक 13.03.2006, प. 14(1)वित्त/नियम/2013 पार्ट दिनांक 08.06.2015 तथा प. 15(1)वित्त/नियम/2017 दिनांक 30.10.2017 (Schedule IV/Rule No. 16) के अनुसरण में नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस0एल0पी0 सं. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा।
4. उक्त अभ्यर्थी की जन्म तारीख वही है, जो इन्होंने परीक्षा के आवेदन पत्रों में अंकित की है और जिन्हें राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सम्यक सत्यापन के पश्चात स्वीकार किया गया है।
5. यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति राजस्थान पुलिस सेवा नियम 1954 के नियमों के नियम 30 के उपबन्धों और अपेक्षाओं के अनुसार की गई हैं।
6. उक्त नियुक्तियाँ सम्बन्धित सेवा नियमों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन हैं।
7. उक्त अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षा अवधि में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती है। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो बार से अधिक अनुत्तीर्ण होने पर इन्हें सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
8. यदि राज्य सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष राजस्थान पुलिस सेवा अधिकारी होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हें सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
9. अभ्यर्थी यदि प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान या प्रशिक्षण की समाप्ति के दो वर्षों के भीतर त्याग-पत्र दे देता है, या कोई अन्यत्र नियुक्ति ग्रहण कर लेता है, तो प्रशिक्षण की कालावधि के दौरान उसे संदत्त की गई परिलब्धियों की दो गुना राशि तथा सरकार द्वारा उसके प्रशिक्षण पर व्यय की गई राशि की दो गुना राशि सरकार को प्रति संदत्त करने की अपेक्षा की जायेगी, तथापि यात्रा और दैनिक भत्तों के रूप में संदत्त रकम वसूली योग्य नहीं होगी। अभ्यर्थी सेवा ग्रहण करने से पूर्व विहित प्रारूप में इस आशय का एक **बन्ध पत्र** निष्पादित करेंगे।
10. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 अध्याय में आने वाले मामलों को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिए कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
11. अभ्यर्थी ने आधारभूत पाठ्यक्रम पहले से उत्तीर्ण कर लिया है, तो वह आधारभूत पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने की अंकतालिका रिपोर्टिंग के समय इस विभाग को आवश्यक रूप से 07 दिवस में (कमरा नं. 1112, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर में) उपस्थिति प्रस्तुत करेंगे।
12. अभ्यर्थी को 07 दिवस के भीतर तक अपने विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र (विवाहित होने की स्थिति में) की सत्यापित प्रति के साथ निश्चित रूप से इस विभाग को उपस्थिति करें।
13. प्रशिक्षण संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर की वेबसाइट www.hcmripa.gov.in पर उपलब्ध है।

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस) विभाग, 1112 प्रथम तल, मुख्य भवन, शासन सचिवालय, जयपुर।

0141-2227294, IP 2820457/Ext.-22325, 22324 Email : home.police@rajasthan.gov.in

D:/JHALA 2022/ACP/Latter



14. बकाया चरित्र सत्यापन में विलम्ब की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्ण रूप से प्रोविजनल मानते हुए नियुक्ति चरित्र सत्यापन रिपोर्ट के अध्यक्षीन रहेगी। अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल चरित्र सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होती है तो उसकी नियुक्ति स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी। इस संबंध में अभ्यर्थी का नियुक्ति हेतु दावा मान्य नहीं होगा।
15. नियुक्ति से पूर्व आपराधिक प्रकरणों के संबंध में अभ्यर्थी को "Self Declaration" अथवा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध प्रतिकूल रिपोर्ट पाई जाती है तो अभ्यर्थी की नियुक्ति निरस्त समझी जावेगी, साथ ही नियमानुसार आपराधिक/विधिक कार्यवाही भी ऐसे अभ्यर्थी के विरुद्ध अमल में लाई जावेगी।
16. नियुक्त अभ्यर्थी जो विवाहित है, उन्हें अपना विवाह पंजीयन प्रमाण-पत्र, जीवित संतान/संतानों की सूचना एवं धूम्रपान नहीं करने संबंधी घोषणा उपस्थिति के समय प्रस्तुत करनी होगी, अन्यथा उपस्थिति की अनुमति प्रदान नहीं की जावेगी। दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात दो से अधिक सन्तान होने वाले अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं हैं, परन्तु यदि प्रथम प्रसव से एक जीवित सन्तान है एवं पश्चातवर्ती प्रसव में एक से अधिक सन्तान होने पर ऐसी सन्तानों को एक इकाई ही माना जायेगा।
17. अभ्यर्थी निश्चित अवधि के 07 दिवस पश्चात् तक भी रिपोर्ट नहीं करते हैं और न ही किसी प्रकार की सूचना विभाग को भिजवाते हैं तो उसके नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जावेंगे।
18. अभ्यर्थी की वरिष्ठता एवं कार्यग्रहण आदि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.05.2024 के क्रम में रहेगी।
19. उक्त नियुक्ति आर.ए.एस. परीक्षा-2008 के संबंध में मा. न्यायालय में दायर विभिन्न वादकरणों के अध्यक्षीन रहेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(कश्मी कौर)

संयुक्त शासन सचिव, पुलिस
0141-2227294

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/मा0 मुख्यमंत्री महोदय (गृह) राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर।
5. अतिरिक्त मुख्य सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
6. निदेशक, हरीशचन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान एवं पदेन प्रमुख शासन सचिव, प्रशिक्षण, जयपुर।
7. महानिदेशक पुलिस, राज0 जयपुर।
8. निदेशक, राजस्थान पुलिस अकादमी, जयपुर।
9. संयुक्त शासन सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग/प्रशासनिक सुधार विभाग।
10. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
11. निदेशक, पेंशन एवं पेंशन वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
12. निदेशक, सूचना एवं जन संपर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रशिक्षण प्रारम्भ होने की तिथि के व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु।
13. संबंधित अधिकारी को प्रेषित कर लेख है कि निर्धारित अवधि पर इस विभाग में पासपोर्ट साईज फोटो की 10 प्रतियां, स्टाम्प साईज फोटो की 10 प्रतियां, बैंक खाते का सम्पूर्ण विवरण मय केन्सिल्ड चैक, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड की फोटो प्रति, कक्षा 10 की अंकतालिका एवं उक्त नियुक्ति आदेश सहित औपचारिक वेशभूषा में उपस्थित हों।
14. वरिष्ठ शासन उप सचिव, गृह (ग्रुप-6) विभाग - उक्त नियुक्ति आदेश विभागीय वेबसाईट पर "RPS Appointment Dated 16-01-2025 (Exam 2008)" शीर्षक से अपलोड करने हेतु।
15. निजी पत्रावली/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)

प्रतिलिपि निम्नांकित को भी सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।

संयुक्त शासन सचिव, गृह (पुलिस)